

न्यायालय-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
।। पीठासीन अधिकारी पी.सी.आर्य ।।

व्यवहार वाद क्र०-07बी / 2014
 संस्थापन दिनांक-25.07.2011
 फाईलिंग नंबर-230303000182011

वीरेन्द्र कुमार बाथम पुत्र रामगोपाल बाथम
 आयु 28 साल जाति बाथम निवासी वार्ड
 नंबर-1 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....वादी

बनाम

1. कुमारी प्रीति आयु 62 साल पुत्री नेतराम
2. करन आयु 8 साल पुत्र नेतराम
3. कुमारी गोपी उर्फ भारती आयु 10 साल
पुत्री नेतराम नाबा० सरपरस्त श्रीमती गुड्डीबाई
स्व० पत्नी नेतराम माँ खुद जाति कुशवाह
4. श्रीमती गुड्डी बाई स्व० पत्नी नेतराम
निवासीगण आपा की तकिया के पीछे
गुड्डू बाथम पार्श्व के मकान के पास
बरथरा रोड़ वार्ड नंबर-2 गोहद जिला भिण्ड
म०प्र०

.....प्रतिवादीगण

वादी द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव अधि० ।
 प्रतिवादीगण द्वारा श्री सुनील कांकर अधि० ।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 16.10.15 को घोषित किया गया)

1. वादी की ओर से उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध उनके पूर्वज स्व० नेतराम द्वारा दिनांक 29.10.09 को ऋण स्वरूप नगद प्राप्त किये गये 50000/-रुपये की मय ब्याज वसूली हेतु प्रस्तुत किया है जिसके कर्ज की लिखापट्टी वादी और स्व० नेतराम के बीच दिनांक 29.04.10 को होना बताई गई है।
2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि स्व० नेतराम की दावा पूर्व एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है तथा स्व० नेतराम प्रतिवादी क्र०-4 का पति व प्रतिवादी क्र०-1 लगायत 3 का पिता था। यह भी निर्विवादित है कि प्रतिवादी क्र०-1 लगायत 3 अवयस्क हैं और उनकी सरपरस्त माँ गुड्डी बाई प्रतिवादी क्र०-4 है जो संयुक्त रूप से निवास करते हैं। यह भी स्वीकृत है कि स्व० नेतराम शासकीय कर्मचारी होकर शिक्षा विभाग में भृत्य के पद पर मृत्यु पूर्व कार्यरत था।

3. वादी का वाद स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व० नेतराम से उसकी अच्छी मित्रता थी और रोजाना का मिलना जुलना उठना बैठना था। इसलिये मित्रता के कारण स्व० नेतराम ने घरू खर्च हेतु अत्यंत आवश्यकता होनेसे उससे 50000/-रुपये नगद गवाहों के समक्ष दिनांक 29.10.09 को प्राप्त किये थे और यह अभिवचन दिया था कि वह दो रुपये प्रति सेंकड़ा ब्याज भी अदा करेगा। तथा तत्काल अदा करने का वचन दिया था। लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण रूपयों की व्यवस्था नहीं हो सकी। इसलिये उसने एक साल के अंदर रुपये अदा करने का वचन देते हुए दिनांक 29.04.10 को उधारी की लिखापढी की थी। और नोटरी अभिभाषक श्री गंभीरसिंह निगम के यहाँ विधिवत लिखतम अनुबंध पत्र का पंजीयन कराया था जिसके अनुसार स्व० नेतराम को दिनांक 29.10.10 तक रुपये अदा करने थे। किन्तु उक्त दिनांक तक उसने रुपये अदा नहीं किये तो उसने नेतराम से रूपयों की मांग की। जिस पर उसने कुछ दिनों कासमय अदायगी हेतु लिया लेकिन अदायगी में टालमटूल करता रहा और उसी दौरान उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी उसकी पत्नी प्रतिवादी क्र०-4 ने रुपये अदायगी का वचन दिया था और यह कहा था कि उसके पति के फण्ड के पैसे मिलेंगे तो वह रुपये अदा कर देगी। किन्तु फिर उसने रुपये अदा नहीं किये जिस पर से प्रतिवादीगण को मांग सूचना पत्र भेजा गया जिसके जवाब में प्रतिवादीगण ने रुपये लेने से मना कर दिया जिसके कारण उत्पन्न हुए वाद कारण से अवधि अंदर उक्त वाद सिरनाम, नेतराम द्वारा लिये 50000/-रुपये एवं उस पर दो रुपये प्रति सेंकड़ा प्रति माह के ब्याज सहित वसूली हेतु वाद पेश किया।

4. प्रतिवादीगण की ओर से संयुक्त जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए मूलतः यह अभिवचन किये हैं कि स्व० नेतराम की वादी से कोई मित्रता नहीं थी तथा नेतराम ने वादी से कभी कोई कर्ज नहीं लिया न ही उन्हें कर्ज लेने की कभी आवश्यकता पड़ी थी इसलिये पचास हजार रुपये एवं ब्याज अदायगी का वचन लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। और स्व० नेतराम द्वारा यदि कोई रुपये लिये जाते तो उसकी दिनांक 29.10.09 को ही लिखापढी होती। दिनांक 29.04.10 को नेतराम ने वादी के पक्ष में कोई लिखापढी नहीं की और अनुबंध पत्र कूटरचना करके तैयार किया गया है जो फर्जी व बनावटी है तथा नेतराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्र०-4 ने भी रुपये अदायगी का कोई वचन नहीं दिया। वादी ने जो नोटिस दिया था उसका समुचित उत्तर दिया गया था क्योंकि वह गलत तथ्यों पर आधारित था। इसलिये वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और वादी का वाद अवधि बाह्य है तथा उस पर उचित न्यायशुल्क भी अदा नहीं किया गया है इसलिये वाद प्रचलनयोग्य नहीं है। और वादी क्रमांक-1 लगायत 3 अवयस्क हैं। उनके संरक्षक नियुक्ति का कोई आवेदन न दिये जाने से भी वाद प्रचलन योग्य नहीं है। क्षेत्राधिकार पर भी आपत्ति उठाते हुए वादी का वाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गई, जिन पर लिए गए निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित हैं:-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी से प्रतिवादी के पिता एवं पति स्व० नेतराम द्वारा घरेलू आवश्यकता के आधार पर रुपये 50000/- (पचास हजार रुपये) ऋण प्राप्त किया था?	
2	50000/- (पचास हजार रुपये) का ऋण वादी से प्रतिवादीगण के पिता व पति स्व० नेतराम ने 02/-रुपये सेंकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज पर प्राप्त किया था जिसका गवाहान के समक्ष दिनांक 29.04.10 को लिखतम निष्पादित की गई थी?	

3	क्या स्व० नेतराम ने उक्त ऋण राशि 29.10.10 तक अदा करने का वचन दिया था?	
4	क्या स्व० नेतराम द्वारा वादी से प्राप्त किये गये ऋण राशि 50000/- (पचास हजार रुपये) मय ब्याज अदायगी हेतु प्रतिवादीगण विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते उत्तरदायी है?	
5	क्या प्रतिवादीगण ने स्व० नेतराम द्वारा वादी से प्राप्त की गई उक्त धनराशि की अदायगी करने से इन्कार किया है?	
6	क्या वादी प्रतिवादीगण से स्व० नेतराम द्वारा प्राप्त की गई ऋण राशि 50000/- (पचास हजार रुपये) एवं उस पर 02 रुपये प्रतिसेंकडा प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूल पाने का अधिकारी है?	
7	अन्य सहायता एवं वाद व्यय?	

6. प्रकरण में वादी की ओर से स्वयं वादी वीरेन्द्र बाथम वा०सा०-1 ने स्वयं का तथा चन्द्रभान वा०सा०-2 का कथन कराते हुए प्र०पी०-1 लगायत 4 के दस्तावेज पेश किये हैं तथा खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादी क्र०-4 श्रीमती गुड्डी बाई प्र०सा०-1, लक्ष्मी राठौर प्र०सा०-2 एवं मुंशी माहौर प्र०सा०-3 का कथन कराया गया है।

:: सकारण निष्कर्ष ::

वाद प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 3 का निराकरण

7. तीनों वादी प्रश्न मूल समव्यवहार पर आधारित होने से एकदूसरे के पूरक हैं और साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति से बचने एवं सुविधा की दृष्टि से उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. इस संबंध में वादी वीरेन्द्र कुमार बाथम वा०सा०-1 ने अपने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में अभिवचनों के अनुरूप और प्रतिवादी क्र०-4 के पति नेतराम ने उससे दिनांक 29.10.09 को गवाहों के समक्ष 50000/-रुपये उधार प्राप्त किये थे जिसकी विधिवत लिखापट्टी की गई थी जिस पर नेतराम ने उसने और साक्षी भजनसिंह ने अंगूठा निशानी व चन्द्रभान ने गवाही के हस्ताक्षर करते हुए श्री गंभीरसिंह निगम एड० नोटरी के समक्ष विधिवत अनुबंध पत्र का पंजीयन कराया था। लिखतम अनुबंध पत्र के साक्षी भजनसिंह की मृत्यु हो चुकी है और प्रतिवादीगण के पिता व पति नेतराम को उक्त अनुबंध अनुसार दिनांक 29.10.11 को रुपये अदा करने थे जो नियत दिनांक तक अदा नहीं किये जिसके बारे में उसने नेतराम से कई बार रुपये मांगे किन्तु वह टालमटूल करता रहा और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। चन्द्रभान वा०सा०-2 ने अपने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में इसी तरह का कथन देते हुए वादी का समर्थन किया है और लिखतम अनुबंध पत्र प्र०पी०-4 पर गवाही के रूप में सी से सी भाग पर हस्ताक्षर करना बताया है जिस पर ए से ए भाग पर वादी वीरेन्द्र कुमार ने अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं।

9. वादी वीरेन्द्र वा0सा0-1 ने पैरा-5 में यह बताया है कि वह बचपन से ही खेती करता है। वार्षिक आय नहीं बता सकता है। साहूकारी का काम नहीं करता है प उस पर कोई साहूकारी का लायसेन्स है। उसके पिता रामगोपाल बाथम थे। स्व0 नेतराम भी शिक्षा विभाग में बाबू के पर पर था जो उनके घर पर चार-छः महीने तक रहा था। नेतराम को उसके पिता से अधिक वेतन मिलता था। नेतराम के एक लड़का व दो लड़कियाँ हैं। नेतराम गरीबी का जीवन व्यतीत करता था। खेती की जमीन उसके नाम से है। माँ के नाम के पहले उसके पिता के नाम थी और अब पिता की मृत्यु के बाद माँ के नाम आ गई है। इस बात से इन्कार किया है कि उसे खेती से कोई आय नहीं होती है। पैरा-6 में उसने कर्ज के संबंध में यह कहा है कि नेतराम को उसने दिनांक 29.10.09 को कर्जा दिया था। पचास हजार रुपये के कर्ज की राशि संकलन के संबंध में उसका यह कहना है कि कर्ज की राशि में से बीस हजार रुपये उसने अपनी सास से लिये थे और तीस हजार रुपये उसने रामौतार बाथम से कर्ज के रूप में लिये थे। रामौतार से कोई ब्याज उसका तय नहीं हुआ था। क्योंकि रामौतार उसका मामा लगता है लेकिन उसने ब्याज देने की उनसे कहा अवश्य था। सास और मामा रामौतार से लिये गये उधार के रूपों की कोई लिखापढी नहीं हुई थी।

10. वा0सा0-1 का यह भी कहना है कि उसने जो पचास हजार रुपये दिये थे वह पांच सौ पांच सौ के नोट थे और पुरानी कचहरी के गेट पर जहाँ उसने फोटो खिंचवाया था, वहीं दिये थे। वह दिनांक 29.10.09 को रुपये देते समय ही लिखापढी होना बताता है और दिनांक 29.10.09 को ही गंभीरसिंह निगम एवं उदलसिंह अधिवक्ता के द्वारा लिखापढी की कार्यवाही की जाना वह कहता है। यह भी कहा है कि लिखापढी की एक प्रति नेतराम को दी गई थी। एक प्रति उसके पास थी जिस पर उसके, नेतराम के और गवाहों के हस्ताक्षर हुए थे। भजनसिंह बाथम ने अंगूठा लगाया था। लिखापढी पर पढकर हस्ताक्षर किये गये थे। दुबारा कोई लिखापढी नहीं हुई थी और लिखापढी में नेतराम ने रुपये आ जाने पर वापिस करने का लेख किया था जो दो चार महीने, दो चार साल में आ जाने पर वापिस की लिखापढी हुई थी। पैरा-8 में इस बात से इन्कार किया है कि प्र0पी0-4 की लिखापढी कय विकय के संबंध में अनुबंध के रूप में कराई बल्कि यह कहा है कि नेतराम से दो रुपये प्रतिमाह प्रतिसंकडा ब्याज लेना तय हुआ था। पैरा-9 में उसका यह भी कहना रहा है कि नेतराम पर कर्जा था और कर्ज चुकाने के लिये उसने रुपये उधार लिये थे। लेकिन इस बात का उल्लेख प्र0पी0-4 में नहीं किया था जो वह पूछने पर बता रहा है। अंत में पैरा-10 में इस बात से इन्कार किया है कि नेतराम को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं थी और वह संपन्न था। तथा छल कपट करके स्टाम्प पर लिखापढी करा ली। इसी कारण नेतराम के जीवनकाल में उसे उजागर नहीं किया।

11. चन्द्रभान वा0सा0-2 ने पैरा-3 में यह स्वीकार किया है कि वादी वीरेन्द्र उसका भाई है और पांच सौ कदम की दूरी पर ही उनके मकान हैं। उसे यह जानकारी नहीं है कि नेतराम वादी के मकान में किराये से रहता था या नहीं लेकिन यह स्वीकार किया है कि नेतराम सरकारी स्कूल में नौकरी करता था। उसे लोग मास्टर कहते थे और नेतराम को वह उसके जीवनकाल में 8-10 साल से जानता था। वादी वीरेन्द्र खेती करता था। पैरा-4 में उसने यह कहा है कि वीरेन्द्र पचास हजार रुपये की राशि कहाँ से लाया उसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। न उसने रुपये गिने। लेकिन वह पांच सौ-पांच सौ के नोट होना बताता है और उसका यह भी कहना है कि पचास हजार रुपये लिखापढी कराने के बाद नेतराम को दिये गये थे। जो लिखापढी पुरानी कचहरी के गंभीरसिंह निगम अधिवक्ता ने की थी। प्र0पी0-4 को वीरेन्द्र टाईप करवाकर लाया था। किससे टाईप कराया उसे पता नहीं है और उसने प्र0पी0-4 पर वीरेन्द्र के कहने से हस्ताक्षर कर दिये थे तथा भजनलाल ने अंगूठा निशानी कर दी थी। अन्य किसी के हस्ताक्षर प्र0पी0-4 पर उसके सामने नहीं हुए। नेतराम को प्र0पी0-4 पढकर नहीं सुनाया गया था। प्र0पी0-4 की लिखापढी के पूर्व या पश्चात में वादी वीरेन्द्र द्वारा नेतराम को रुपये नहीं दिये गये। वादी वीरेन्द्र ने नेतराम को रुपये गिनवाये या नहीं, यह भी उसे पता नहीं है। भजनलाल ने निशानी अंगूठा उसके सामने प्र0पी0-4 पर किये थे जिसे चार पांच

साल हो गये हैं।

12. इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें मूलतः श्रीमती गुड्डीबाई प्र०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में वादी का खण्डन करते हुए यह बताया है कि उसके पति नेतराम की वादी से कोई मित्रता नहीं थी। न ही उसके पति ने वादी से कोई कर्ज कभी लिया था। न कर्ज की कोई लिखापढी की न ही कर्ज मय ब्याज अदा करने का कभी कोई वचन दिया था। क्योंकि उसके पति की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं थी। शिक्षा विभाग में भृत्य के पद पर कार्यरत थे और मिलने वाले वेतन से उनका गुजारा अच्छी तरह से चलता था। यदि उसका पति वादी से कोई कर्ज लेता तो उसे अवश्य जानकारी होती। उसके पति ने कभी उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी न ही उसके पति ने अपने जीवनकाल में वादी के पक्ष में कर्ज की कोई लिखापढी की। प्र०पी०-4 को कूटरचित बताते हुए उसका यह भी कहना रहा है कि उसके पति 12-13 कक्षा तक पढ़े थे, हस्ताक्षर करते थे। उन्हें सोलह हजार रुपये वेतन मिलता था और पूरा वेतन वे घर पर देते थे तथा घर का खर्च वह चलाती थी। उसके पति कर्ज लेते देते नहीं थे। इस बात से इन्कार किया है कि उसके पति ने अपने जीवनकाल में वादी से पचास हजार रुपये कर्ज किया था और उसकी प्र०पी०-4 की लिखापढी स्वेच्छापूर्वक हस्ताक्षर करके वादी को दी थी।

13. प्र०सा०-1 ने यह भी कहा है कि उसका पति अपने जीवनकाल में किन किन लोगों से मिलता था, किन किन लोगों से उसका व्यवहार था, किन लोगों के यहाँ आना-जाना था इसकी उसे जानकारी नहीं है लेकिन पैरा-7 में यह कहा है कि वह नौकरी करते थे और वह घर पर रहती थी तथा पति के जीवनकाल में बरथरा रोड गोहद में परिवार सहित रहते थे। उक्त साक्षी का समर्थन लक्ष्मी राठौर प्र०सा०-2 व मुंशी माहौर प्र०सा०-3 ने अपने अपने अभिसाक्ष्य में करते हुए यह भी कहा है कि वे गुड्डी बाई के पड़ोसी हैं और नेतराम की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उन्हें कर्ज की आवश्यकता नहीं रही। प्र०सा०-2 ने यह अवश्य कहा है कि नेतराम पर कितने जेवरात थे, प्रतिदिन की क्या आय थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। लेकिन उसने यह कहा है कि नेतराम को सामान्य स्थिति में देखा है। वह सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। उनके भोजन पानी की व्यवस्था नौकरी से हो जाती थी इस आधार पर यह बात कह रही है कि उन्हें कर्ज की आवश्यकता नहीं थी। उसने पड़ोसी के नाते अच्छे संबंध होना बताते हुए यह कहा है कि नेतराम उनके किरायेदार थे जिनके बच्चे अभी भी किराये से रह रहे हैं। उसने यह भी कहा है कि उसकी दो लड़कियों की शादी में नेतराम ने उसे बीस हजार रुपये दिनांक 12.11.11 को दिये थे। जो मौखिक रूप से बिना ब्याज के दिये थे और उसने मई 2011 में वे रुपये लौटा दिये थे तथा मुंशी माहौर की किसी लड़की की शादी में भी वर्ष 2013 में दस हजार रुपये गुड्डी बाई ने उधार दिये थे। तथा मुंशी की लड़की की शादी के टीके का खर्च भी गुड्डी बाई ने उठाते हुए 4100/-रुपये दान स्वरूप दिये थे। ऐसा ही मुंशी माहौर का भी कहना रहा है। दोनों ने इस बात से इन्कार किया है कि पड़ोसी होने के नाते वे झूठा बयान दे रहे हैं।

14. उक्त संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि वादी और नेतराम की मित्रता थी क्योंकि वादी के पिता और नेतराम दोनों ही शिक्षा विभाग में नौकर थे। उनका आना जाना था। नेतराम को कर्ज पटाने के लिये रूपयों की जरूरत थी इसलिये वादी ने उसे 50000/-रुपये नगद उधार दिये थे जो उसने कुछ समय बाद ही वादी से लौटाये जाने की कह दिया था इसलिये उधार देते समय लिखापढी नहीं हुई थी और जब वह दिये वचन अनुसार रुपये नहीं लौटा पाया तब नेतराम ने एक साल का समय लेते हुए दिनांक 29.04.10 को प्र०पी०-4 की कर्ज की लिखापढी की थी जिसको विधिवत नोटरी द्वारा पंजीकृत भी कराया गया और नेतराम अपने जीवनकाल में रुपये लौटाने का वचन देता रहा और टालता रहा। मित्रता के कारण वादी समय देता रहा किन्तु दुर्भाग्यवश नेतराम की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। नेतराम ने प्र०पी०-4 स्वेच्छा से निष्पादित कराकर दिया था जिसका अनुप्रमाणक साक्षी से भी कोई समर्थन है। इसलिये प्र०पी०-4 प्रमाणित है और वाद प्रश्न क्रमांक-1

लगायत 3 प्रमाणित निर्णीत किये जावें। जबकि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि नेतराम शासकीय सेवक था उसे पर्याप्त वेतन मिलता था उस पर कोई कर्ज नहीं था न ही वादी से उसकी कोई मित्रता थी। और वादी नेतराम को कर्ज लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तथा प्र०पी०-4 कूटरचित दस्तावेज है और वादी एवं उसके साक्षी के कथनों में प्र०पी०-4 का निष्पादन कर्ज की समयावधि को लेकर ही विरोधाभाष है तथा अभिवचनों के प्रतिकूल वादी की साक्ष्य है और प्र०पी०-4 कर्ज की लिखापढी न होकर विक्रय अनुबंध पत्र के रूप में निष्पादित किया गया है जो नोटरी के पृष्ठ क्रमांक-2 पर अंकित मुद्रा से भी स्पष्ट है। वादी नेतराम को अपना मामा बताता है किन्तु उसके परिवार की जानकारी न तो उसे है न ही उसके संबंध में अन्य कोई जानकारी है। नेतराम सामान्य जीवन जी रहा था उसमें कोई व्यसन भी नहीं था न ही नेतराम अस्वस्थ था। न शादी वगैरा उसके द्वारा की गई इसलिये नेतराम को रूपयों की आवश्यकता न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और उधारी का लेनदेन पूर्णतः संदिग्ध है इसलिये तीनों वाद प्रश्न वादी के विरुद्ध निर्णीत किये जावें।

15. सिविल विधि का यह सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद स्वयं के सामर्थ्य से प्रमाणित करना होता है और वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। जहाँ तक वाद के अवधि बाह्य होने का तर्कों में बिन्दु उठाया गया है। हालांकि उसके संबंध में कोई वाद प्रश्न निर्मित नहीं है किन्तु मूल वाद प्र०पी०-4 पर आधारित है जो दिनांक 29.04.10 का निष्पादित है और उसमें ऋण अदायगी की तिथि दिनांक 29.10.10 उल्लेखित की गई है। मूल वाद दिनांक 19.07.11 को प्रस्तुत किया गया था अर्थात् समव्यवहार दिनांक से भी तीन वर्ष की म्याद जोड़ी जावे तब भी वाद समयावधि में ही है। इसलिये इस बिन्दु पर और अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

16. वादी के मुताबिक प्रतिवादीगण के पूर्वज नेतराम के द्वारा दिनांक 29.10.09 को पचास हजार रुपये उधार प्राप्त करना बताया गया है जिसकी लिखापढी 29.04.10 की बताई गई है जबकि उक्त अभिवचनों से अन्यथा वादी की साक्ष्य आई है। स्वयं वादी अपने मुख्य परीक्षण में ही पचास हजार रुपये स्व० नेतराम के द्वारा गवाहों के समक्ष उससे दिनांक 29.10.10 को प्राप्त करना और उसी समय अनुबंध पत्र का पंजीयन कराना बताकर आया है। जबकि प्र०पी०-4 में ऋण दिनांक 29.10.09 को लिया जाना और अदायगी की म्याद 29.10.10 उल्लेखित की गई है और प्र०पी०-4 का पंजीयन दिनांक 29.04.10 को हुआ है। दिनांक 29.10.09 का नहीं हुआ है। ऐसे में वादी के अभिवचन और साक्ष्य में विरोधाभाष की स्थिति है और इसके संबंध में वा०सा०-1 के पैरा-6 में जो साक्ष्य आई है उसमें भी वह पचास हजार रुपये ऋण स्वर्गीय नेतराम के द्वारा दिनांक 29.10.09 को प्राप्त करना और उसी दिन श्री गंभीरसिंह निगम अधिवक्ता नोटरी के द्वारा लिखापढी की जाना बताता है। इससे प्र०पी०-4 का दस्तावेज जो दिनांक 29.04.10 का है। उसके बारे में प्रश्न चिन्ह लग जाता है और स्वयं वादी ही विरोधाभाषी साक्ष्य देकर संदेह उत्पन्न कर रहा है। उसका समर्थित साक्षी चन्द्रभान वा०सा०-2 जो कि रिश्ते में वादी का भाई भी है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी०-4 की लिखापढी की कोई तिथि नहीं बताई है और वह भी स्व० नेतराम को वादी के द्वारा प्र०पी०-4 की लिखापढी के बाद रुपये देना बताता है। जबकि अभिवचनों में लिखापढी में करीब छः माह का अंतर है तथा वा०सा०-2 के द्वारा रुपये नहीं गिने गये और वह प्र०पी०-4 की लिखापढी के पूर्व या पश्चात वादी द्वारा नेतराम को रुपये देने से इन्कार भी करता है। इससे भी प्र०पी०-4 का खण्डन होता है और प्रतिवादीगण की ओर से तो प्र०पी०-4 को सिरे से खारिज किया गया है तथा उसे कूटरचित दस्तावेज बताया गया जिसे वादी ने स्व० नेतराम के जीवनकाल में कभी प्रकट नहीं किया।

17. न्याय दृष्टांत रमाकांत दुबे विरुद्ध सुरेश चन्द्र 1990 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-182 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शित किया गया है कि प्रत्येक दस्तावेजों के निबंधनों से ही उसके समव्यवहार की प्रकृति एवं आशय एकत्र किये जाने

चाहिए। इस संदर्भ में प्र०पी०-4 को देखा जाये तो प्र०पी०-4 वादी के मुताबिक समव्यवहार दिनांक का नहीं है बल्कि उसके करीब छः माह बाद का है जिस पर वह नेतराम के हस्ताक्षर बताता है। हालांकि उसके संबंध में कोई भी विशेषज्ञ साक्ष्य अभिलेख पर किसी भी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्र०पी०-4 के बी से बी भाग में श्री गंभीरसिंह निगम एड० नोटरी गोहद जिला भिण्ड की मुद्रा में उल्लेखित शब्दावली पर ध्यान आकर्षित कराया है जिसमें दस्तावेज को अनुबंध विक्रय पत्र एक स्थान पर अंकित है तथा बीच में केवल अनुबंध पत्र शब्द का ही उल्लेख है।

18. प्र०पी०-4 की जो शब्दावली है उसमें पचास हजार रुपये बतौर कर्जा लिये जाने का उल्लेख किया गया है और स्व० नेतराम द्वारा वादी से कर्ज लिये जाने का उचित कारण दर्शाया गया है। वह घर खर्च हेतु अत्यंत आवश्यक बताया है। जबकि वादी वीरेन्द्र वा०सा०-1 के अभिसाक्ष्य में वह नेतराम के द्वारा पचास हजार रुपये कर्ज अपना कोई कर्ज चुकाने के लिये लेना पैरा-9 में कहता है। दोनों ही तथ्य विरोधाभासी हैं और अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति या प्रमाण पेश नहीं हैं जिससे यह माना जा सके कि नेतराम को वास्तव में कर्ज की आवश्यकता थी या उस पर कोई कर्ज था या उसके घर पर कोई ऐसी आपत्ति या विपत्ति आ गई थी जिसमें उसे एकमुश्त पचास हजार रुपये की आवश्यकता पड़ी हो। बल्कि यह उल्लेखनीय है कि स्व० नेतराम शासकीय सेवक था, शिक्षक विभाग में नौकरी करता था उसे पन्द्रह सोलह हजार रुपये वेतन मिलता था। हालांकि नेतराम के उत्तराधिकारियों ने भृत्य के पद पर होना बताया है जो नियमित कर्मचारी था जबकि वादी के मुताबिक वह मास्टर था। ऐसे में उसे साधारण जीवनयापन के लिये पर्याप्त आय होना दर्शित होती है। नेतराम का कोई व्यसन भी नहीं बताया गया है जिसके कारण उसे कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो। बल्कि प्रतिवादीगण की ओर से जो साक्ष्य दी गई है उसके मुताबिक तो नेतराम दूसरों की मदद रुपये बिना ब्याज उधार देकर करता था। उसकी पत्नी वर्तमान प्रतिवादी क्र०-4 ने भी ऐसा किया है जो प्र०सा०-2 व 3 की साक्ष्य में भी आया है। इससे वादी के कर्ज के समव्यवहार की कहानी सत्यता के निकट होना परिलक्षित नहीं होती है और उसकी साक्ष्य व अभिवचन विरोधाभासी होने से वह विश्वसनीय नहीं हैं।

19. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **गणेश विरुद्ध श्रीनाथ 1986 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन० 193** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि जहाँ अभिवचन और साक्ष्य विरोधाभासी हों तो ऐसी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तथा न्याय दृष्टांत **हसमत राय विरुद्ध रघुनाथ प्रसाद 1982 एम०पी०आर०सी०जे० पेज-1** में यह प्रतिपादित किया गया है कि वगैर अभिवचन के प्रस्तुत साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं होती है जैसी कि वादी की आई है।

20. प्र०पी०-4 मुताबिक बताये गये समव्यवहार के बारे में साक्ष्य का और मूल्यांकन किये जाने पर वादी वीरेन्द्र वा०सा०-1 के अभिवचनों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो पचास हजार रुपये वह स्व० नेतराम को कर्ज बतौर दिनांक 29.10.09 को गवाहों के समक्ष नगद देना बताता है वह राशि उस पर किस प्रकार से उपलब्ध थी जिसे वह अपनी अभिसाक्ष्य के पैरा-6 में स्पष्ट करते हुए यह बताता है कि जो पचास हजार रुपये स्व० नेतराम को उसने कर्ज दिया था उसमें से बीस हजार रुपये उसने अपनी सास से एवं तीस हजार रुपये रामौतार बाथम से उधार लिये थे जो रामौतार उसका रिश्ते में मामा लगता है। लेकिन इस तथ्य के प्रमाण में वादी ने न तो अपनी सास को परीक्षित कराया जो यह बताती कि उसने बीस हजार रुपये दिये थे या नहीं और किस प्रयोजन से दिये न ही रामौतार बाथम को परीक्षित कराया जिससे स्वयं वादी कर्जा ब्याज पर लेना कहता है। जबकि अभिवचनों में वह इतना महत्वपूर्ण तथ्य छुपाता है इससे भी वादी की साक्ष्य कतई भरोसे योग्य नहीं रह जाती है और वादी की साक्ष्य से प्र०पी०-4 का दस्तावेज जिसकी स्थिति अपंजीकृत दस्तावेज की ही है क्योंकि नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है और वह कतई

सिद्ध नहीं है।

21. वादी स्व० नेतराम को अपना मित्र बताता है और उसी के आधार पर वह कर्ज देना कहता है जो कर्ज की राशि दी उसमें स्वयं वादी के मुताबिक ही उसकी स्वयं की अर्जित की गई कोई राशि नहीं थी। दूसरी ओर उसे नेतराम की मृत्यु की भी जानकारी नहीं है कि मृत्यु कब हो गई और नेतराम के जीवनकाल में वादी द्वारा उसे कोई नोटिस आदि न देना मृत्यु पश्चात उसके वारिसान को नोटिस देकर उक्त वाद प्रस्तुत करना यही दर्शाता है कि वास्तव में पचास हजार रुपये ऋण का समव्यवहार वादी और स्व० नेतराम के मध्य नहीं हुआ।

22. इस तरह से प्रकरण में अभिलेख पर जो परिस्थितियाँ हैं वह वादी के वजाय प्रतिवादी की अभिसाक्ष्य को बल प्रदान करते हैं और वादी स्वयं स्थिर नहीं है ऐसे में उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तथा यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी से स्व० नेतराम ने दिनांक 29.10.09 को पचास हजार रुपये उधार लिये थे जिस पर दो रुपये प्रति सेंकड़ा प्रतिमाह का ब्याज तय था जो शीघ्र अतिशीघ्र लौटाने थे और शीघ्र न लौटाने पर दिनांक 29.04.10 को प्र०पी०-4 का लिखतम अनुबंध कराया गया जिसमें नेतराम ने ऋण राशि मय ब्याज अदायगी दिनांक 29.10.10 तक करने का वचन दिया। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 3 वादी के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराये जाते हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक-4 लगायत 6 का निराकरण

23. उक्त तीनों वाद प्रश्न स्व० नेतराम के वारिसान से संबंधित होकर एकदूसरे के पूरक होने से उनका भी एकसाथ मूल्यांकन व विश्लेषण किया जा रहा है।

24. इस संबंध में वादी वीरेन्द्रसिंह वा०सा०-1 के द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि प्र०पी०-4 मुताबिक ऋण अदायगी न होने पर और दुर्घटना में स्व० नेतराम की मृत्यु हो जाने के कारण जब उसने नेतराम की पत्नी श्रीमती गुड्डी बाई से ऋण की मांग की और उसने फण्ड के पैसे मिलने पर अदायगी का वचन दिया किन्तु बाद में इन्कार कर दिया। जिस पर से उसके द्वारा दावा पूर्व प्र०पी०-1 का नोटिस दिया गया जिसका प्र०पी०-3 का प्रतिवादीगण की ओर से दिये गये जवाब में इन्कारी के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिपरीक्षण में वह नेतराम के जीवनकाल में वह दो तीन बार मांग करना बताता है। नेतराम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी से भी मांग करना बताता है। किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से दी गई साक्ष्य में गुड्डी बाई प्र०सा०-1 ने वादी की समस्त साक्ष्य से इन्कार कर मूल समव्यवहार से भी इन्कार किया है। जो वाद प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 3 के विश्लेषण में भी पाया गया है कि समव्यवहार नहीं हुआ। ऐसे में वादी स्व० नेतराम के वारिसान से प्र०पी०-4 के आधार पर कोई ऋण राशि या ब्याज प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी नहीं है क्योंकि प्र०पी०-4 का दस्तावेज ही प्रमाणित नहीं पाया गया है। इसलिये वाद प्रश्न क्रमांक-4 लगायत 6 भी वादी के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराये जाते हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक-7 का निराकरण

25. उपरोक्त वाद प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 6 के उपरोक्त वर्णित विश्लेषण मुताबिक वादी के अभिवचन प्रमाणित नहीं हुए हैं न ही वाद आधार प्रमाणित हैं जो कि प्र०पी०-4 पर से किया गया था। मूल समव्यवहार प्रमाणित न होने से वादी प्रस्तुत वाद के माध्यम से प्रतिवादीगण से कोई भी राशि की वसूली का अधिकारी नहीं है। फलतः वादी का वाद स्वीकार योग्य न होने से सव्यय निरस्त किया जाता है।

26. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वादी अपने वाद व्यय के साथ साथ प्रतिवादीगण का वाद व्यय भी वहन करेगा जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री निर्मित हो।

दिनांक 16.10.2015

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)